हरियाणा सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 फरवरी, 2015

क्रमांक 8/27-2013पी0एस0(2).—माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका नं0 20645/2009 में पारित आदेश दिनांक 9-4-2013 की अनुपालना में हरियाणा राज्य द्वारा अधिसूचना नं0 8/27-2013 पी0एस0(2) दिनांक 28-01-2014 द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 में नियम 158 क व 158 ख जोड़कर मण्डल स्तर पर मण्डल आयुक्तों की अध्यक्षता में फीस तथा निधि नियामक समिति का गठन किया जा चुका है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय न्यायाधीश श्रीमती किरण आन्नद लाल (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित अन्तरिम कमेटी की अब आवश्यकता नहीं है । अतः इसे तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है। अब निजी असहायताप्राप्त मान्यताप्राप्त विद्यालयों की फीस एव निधियों का नियामन उपरोक्त प्रावधान के अनुसार गठित मण्डल स्तरीय कमेटियों द्वारा किया जाएगा।

टी0सी0 गुप्ता,
प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 2nd February, 2015

No. 8/27-2013 PS (2).—In compliance with the order dated 09-04-2013 passed by the Hon'ble High Court in C.W.P. No. 20545 of 2009, the State of Haryana has constituted Fee and Funds Regulatory Committees for Private Un-Aided Recognized Schools under the Chairmanship of Divisional Commissioners at Division Level by inserting Rule 158-A and 158-B in the Haryana School Education Rules, 2003 vide Notification No. 8/27-2013 PS (2) dated 28.01.2014. Therefore, the Committee constituted by the Hon'ble High Court as interim arrangement under the Chairmanship of Hon'ble Mrs. Justice Kiran Anand Lall (Retd.) is no more required. Hence, the same is hereby abolished with immediate effect. Now, the Fee and Funds of the Private Un-Aided Recognized Schools shall be regulated by the Divisional Level Committees in accordance with above provisions.

T.C. GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
School Education Department.

53033—C.S.—H.GP., Chd.